

**ORDER**

New Delhi, the, 24th June, 2021

**S.O. 2550(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 and section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Phthalic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2021.

2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette”.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

*Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1402 (E), dated the 23rd April, 2020 and lastly amended vide notification number S.O. 4792 dated the 24th December, 2020.*

**आदेश**

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

**का.आ. 2551(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा”।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2185(अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर, 2020 के का.आ. संख्यांक 4785(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।